

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 241(अ), दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड. (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी 4 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सारणी 4

क्रम सं.	एचएस 8 अंक	विवरण	टैरिफ दर कोटा मात्रा	कोटा के अंतर्गत टैरिफ दर	कोटा के अंतर्गत एआईडीसी दर	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	06031900	सभी माल	15 टन	30%	-	1
2.	08043000	सभी माल	1000 टन	10%	-	1
3.	08109060	सभी माल	250 टन	10%	-	1
4.	09051000	सभी माल	15 टन	10%	-	1
5.	09052000	सभी माल	1 टन	10%	-	1
6.	16041410, 16041490, 16042000	सभी माल	7000 टन सभी माल को मिलकर	0%	-	1
7.	17011490	विशेष चीनी	15000 टन	10%	-	1
8.	22030000	सभी माल	2,000,000 लीटर	25%	-	1
9.	22060000	फ्रूट वाइन	5000 लीटर	0%	50%	1

10.	22084011, 22084012, 22084091, 22084092	सभी माल	1.50 मिलियन लीटर सभी माल को मिलकर	0%	50%	1”;
-----	---	---------	---	----	-----	-----

[फा.सं.190354/49/2021-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार